।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 21/2023(मैन्यूअल) 2023/20 (GCMS)

अपीलांट

1. श्रीमती नभी पत्नी रमजान खां
2. श्रीमती जन्नत पत्नी रोजे खां पुत्री रमजान खां
3. श्रीमती नथी पत्नी रेशम खां पुत्री रमजान खां

सर्वे जाति मुसलमान निवासी ग्राम सोरों की ढाणी तह.व जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंट

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर
2. श्री नूरेखां पुत्र रमजान खां
3. श्री जामीनखां पुत्र रमजान खां
4. श्री हाजीखां पुत्र रमजान खां
5. श्रीमती आसियत पत्नी नवाबखां पुत्री रमजान खां
6. श्रीमती जीयादे पत्नी जमाल खां पुत्री रमजान खां

सर्वे जाति मुसलमान निवासी ग्राम सोरों की ढाणी तहसील व जिला जैसलमेर।

उपस्थित

1. श्री मुरलीधर जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकारराज (नायब तहसीलदार) रेस्पोडेण्ट संख्या 01
3. श्री किशन प्रतापसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री जितेन्द्र स्वामी, अधिवक्ता अपीलांट
5. श्री वसीर मोहम्मद अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03

निर्णय

दिनांक 01.07.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा ग्राम जैसलमेर के नामान्तकरण संख्या 495 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.10.2024 प्रस्तुत कर अपील में नामांतरण संख्या 495 को चुनौती दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा जारी नामांतरण नकल की कॉलम संख्या 2 में नामांतरण संख्या 495 लिखा हुआ है उसी को आधार मान कर अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के क्रम में अपील शीर्षक संशोधन कर नामांतरण संख्या 495 में आगे सहपठित नामांतरण संख्या 885 संशोधन का निवेदन करते हुए नामांतरण संख्या 885 दिनांक 20.12.2017 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की पीढियाती व पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम जैसलमेर (सोरों की ढाणी) के खसरा संख्या 915 रकबा 60–05 बीघा भूमि खातेदार रमजानखां पुत्र उमर खां के नाम दर्ज थी। दिनांक 20.12.2017 को रेस्पोडेण्ट के द्वारा तथ्य छिपाते हुये खातेदार रमजान खां के अपीलांटगण जायज वारिसान होने के तथ्य छिपाते हुये केवल स्वंय वारिसान होने के गलत तथ्य बताकर अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करवाया गया है, जो कानूनी शुद्वता, औचित्यता के विपरीत होने से काबिल अपास्त है। अपीलांट संख्या 01 खातेदार रमजान खां की प्रथम पत्नी है तथा अपीलांट संख्या 02 व 03 जायंदा पुत्रिया है, जो उक्त भूमि में बराबर हिस्सेदार है। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 खातेदार रमजान खां पुत्र उमरखां के द्वितीय विवाह से पैदा हुयी संताने है, जिनको सम्पूण तथ्यों की भली–भॉति जानकारी थी कि उनके अलावा

जिला कलक्टर
जैसलमेर

खातेदार रमजान खां के प्रथम विवाह जो अपीलांट संख्या 01 के साथ हुआ था। उक्त वैवाहिक जीवन से दो पुत्रियां अपीलांट संख्या 02 व 03 पैदा हुयी थी। खातेदार रमजान खां की मृत्यु के बाद अपीलांट संख्या 01 अपनी पुत्री जन्नत ,अपीलांट संख्या 02 के घर रह रही है तथा अपीलांट संख्या 01 के खाने–पीने, ईलाज आदि की देखरेख पुत्री जन्नत कर रही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 को उक्त समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी होते हुये रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से सांठ–गांठ करके उक्त कृषि भूमि अपीलाधीन नामान्तकरण के जरिये अपने नाम दर्ज करवायी गयी है, जो अवैधानिक व नियमों के विपरीत होने से नामान्तकरण निरस्ती योग्य है। अपीलांट एक पेशेवर कृषक है जिसकी आजिवीका का मुख्य स्त्रोत कृषि है जिस पर अपीलांट का पूरा परिवार निर्भर है। अपीलांट कदीमी समय से लेकर आज तक इसी कृषि भूमि पर काश्त करके अपना जीवन यापन कर रहे है, ऐसे में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 के द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करवाया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने पक्ष में करवाये जाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किये जाने पर उक्त तथ्यों की जानकारी हुयी। उक्त जानकारी होते ही उसी दिन अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 22.06.2023 को नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर नकल प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर यह अपील प्रस्तुत की गयी है जो अन्दर म्याद है। अपील के सलग्न धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 495 दिनांक 20.12.2017 सहपठित नामांतकरण 885 को अपास्त किये जाने एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 के साथ–साथ अपीलांट संख्या 01 से 03 के नाम उक्त भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2024 प्रस्तुत कर जवाब में कथन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण कानूनी रूप से सही है। अपीलाधीन नामान्तकरण जो दिनांक 20.12.2017 को भरा गया है व रमजान खां की पत्नी सावणी के इंतकाल के बाद भरा गया था। रमजानखां की पत्नी सावणी से तीन पुत्र व 02 पुत्रियां के अलावा कोई संतान नहीं हुयी थी। इस कारण अपीलाधीन नामान्तकरण सही व कानूनी रूप से वैद्य है। अपील के चरण संख्या 02 में अंकित कथन कि अपीलाण्ट मूल रूप से सोरों की ढाणी का निवासी है या नहीं इसकी जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। अपीलाण्ट की कोई भी कृषि भूमि सोरों की ढाणी में नहीं आयी हुयी है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 की भूमि है जिसमें अपीलाण्ट का इस भूमि पर कोई हक हिस्सा नहीं है। खातेदार रमजान खां की उक्त कृषि भूमि रमजान खां के इंतकाल दिनांक 14.02.2003 को हो जाने से कानूनी वारिसों के नाम दिनांक 22.06.2008 को नामान्तकरण संख्या 495 पर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 के नाम दर्ज की गयी है, उक्त के अलावा खातेदार रमजान खां को कोई वारिस नहीं था। सावणी को अपने पति के इंतकाल के बाद जो हिस्सा आया था, वही हिस्सा बाद में सावणी के इंतकाल के बाद दिनांक 20.12.2017 को उसके कानूनी वारिस रेस्पोडेण्ट को मिला है, जो कानूनी हक अधिकार था। अपीलाण्ट को उक्त भूमि प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। खातेदार रमजान खां ने एक विवाह सावणी से किया गया था जिससे 03 पुत्र व 02 पुत्रियां हुयी है, जो वर्तमान में

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

जीवित है तथा विवादग्रस्त भूमि कर काबिज है। अपील के चरण संख्या 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि रमजान खां का इंतकाल दिनांक 14.02.2003 को हो गया था, रमजान खां ने अपने इंतकाल से पूर्व दिनांक 03.09.1998 में 05 रूपये के स्टाम्प पर वसीयत लिखकर अपने पुत्र नूरे खां को विवादग्रस्त भूमि ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या 915 रकबा 60 बीघा दी गयी थी तथा एक अन्य कृषि भूमि ग्राम भींया की अपने पुत्र नूरे खां को वसीयत लिखकर दी गयी थी। इसी आधार पर वर्ष 2008 में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 का नाम 2008 में दर्ज किया गया है जिसके 15 वर्ष बाद में अपीलाण्ट द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर अपील दर्ज करवाई गयी है जो कि म्याद बार है। अपीलाण्ट को अपील दर्ज करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, केवल रेस्पोडेण्ट को जानबूझकर तंग, परेशान व हैरान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गयी है जो खारिज योग्य है।

अपीलांट अधिवक्ता–1 के द्वारा रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रत्युतर दिनांक 24.09.2024 को प्रस्तुत कर कथन किया कि खातेदार रमजान खां ने दो शादियां की थी। प्रथम शादी नबीयत उर्फ नबी से की गयी जो अलाबचाये खां की बेटी व उम्मेद खां की पोती थी जो निवासी सोरों की ढाणी जैसलमेर है। प्रथम शादी से दो संतान हुयी जो जीवित है एवं प्रथम पत्नी नबीयत उर्फ नबी जीवित है। खातेदार रमजान खां की दूसरी शादी सोवणी से की गयी जो हाजी मठार की पोती व दोलेखां की पुत्री है, जिससे 03 पुत्र व 03 पुत्रियां हुयी है। इस प्रकार रमजानखां के उक्त अपीलांट भी वारिसान है जिसको रेस्पोडेण्ट द्वारा गलत रूप से नकारा जा रहा है जो मात्र सम्पति हड़प करने की गरज से दर्ज किया गया है। अपीलांट सोरों की ढाणी के निवासी है या नहीं, होना इसकी जानकारी नहीं होने के जो तथ्य किये गये है, अपीलांट व रेस्पोडेण्ट रमजान खां के वारिस है जिसके संबंध में जानकारी नहीं होना कथन करना रेस्पोडेण्ट की मानसिकता स्पष्ट नजर आ रही है, उनको मात्र जमीन हड़पना है। रेस्पोडेण्ट के साथ–साथ अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व हिस्सा है व काश्त करते है। अपीलांट व रेस्पोडेण्ट के भाट एक ही है जो आदर्श राव सेवा समिति महलॉ व वंशावली सरक्षंण एवं संर्वधन संस्थान जयपुर अजमेर रोड़ महलॉ जयपुर रूपसिंह जी है जिन्होने भी अपने भाट बही का हवाला देकर दिनांक 04.04.2024 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पक्षकारगण सोरो की ढाणी के निवासी है जो ग्राम पंचायत डाबला के अंतर्गत है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत डाबला द्वारा गलत रूप से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मारवी काबल के साथ शादी की हुयी थी जिसको भी लाऔलाद बताकर गलत प्रमाण पत्र पेश किया। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट फर्जी कार्यवाही करने के आदी है। वर्ष 1980, 1983, 1988 की मतदाता सूची में नबियत व सोहणी दोनो रमजान खां की पत्नियां है। तथाकथित रूप से 03.09.1988 को वसीयतनामा बनाया जा रहा है जो पूर्णत फर्जी, बनावटी व मिलावटी रूप से तैयार किया गया है। नामान्तकरण संख्या 885 में इस तथ्य का कोई हवाला नहीं है अगर ऐसा दस्तावेज होता तो निश्चित रूप से दर्ज किया जाता है। खसरा नम्बर 23 के मुतबिल जो फर्जी तौर से वसीयत नामा तैयार किया गया है व विधि विरूद्व होने से उसकी कार्यवाही अलग से की जायेगी, इस भूमि का कब्जा वर्तमान में अपीलांटगण के पास है। अतिरिक्त आपति में रेस्पोडेण्ट द्वारा जमाबंदी पेश की है। वह रमजान वल्द उमर

जिला कलक्टर
जैसलमेर

।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

प्रकरण संख्या – अपील 21/2023(मैन्यूअल) 2023/20 (GCMS)

खां की पेश की है जिसमें अंकित कॉलम में फर्जी रूप से इन्द्राज किया गया है जिसकी प्रतिलिपि अपीलाण्ट पेश कर रही है। नामान्तकरण संख्या 495 व 521 का रेकर्ड पटवारी के पास ही नहीं है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.01.2025 प्रस्तुत कर अपील की सुनवाई से पूर्व अपील में प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस होने जाने का निवेदन किया गया है। तत्पश्चात् प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.05.2025 प्रस्तुत कर धारा 5 के प्रार्थना–पत्र में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन नामांतरण स्वीकृत के 17 वर्ष बाद अवधि के दौरान कानूनी कार्यवाही के सहारा नहीं लेने में अपीलान्ट का आचरण भी प्रतिबंधित करता है कि वर्तमान में अपील सोच विचार के बाद जानबूझबर सारी जानकारी 2023 में होने के बावजूद दाखिल की गई है जो निरस्त योग्य है। अपीलाण्टस जन्नत व नथी का विवाह करीब 40 वर्ष पहले हो चुका था और वे अपने सासुराल रहती थी वे कभी भी मुतदाविया भूमि में न तो खेत खड़ने आई थी और न ही उनका कोई कब्जा काश्त रहा। यदि अपीलान्टस की बात में सच्चाई होती तो वे जरूर अपने कब्जा काश्त के संबंध में गिरदावरी की नकलें बतौर सबूत पेश करते। अपीलान्टस का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा या अधिकार होता तो वे म्युटेशन निरस्ती की कार्यवाही नहीं करके तुरन्त सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करते लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्टस का इस जमीन से कोई सरोकार नहीं है। अपीलान्टस ने सारी जानकारी होते हुए भी जानबूझकर अदालत को गुमराह करने के लिये सही तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेन्टस को हैरान व परेशान करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के जरिये एक गलत म्युटेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि जो ग्राम–जैसलमेर के खसरा संख्या 808 के सम्बन्ध में है और इसके खातेदार कोई अन्य लोग हैं जिसको आधार बना कर अपील प्रस्तुत की गई है जो कतई मेन्टेबल नहीं है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपील के संबंध में लिखित बहस दिनांक 26.05.2025 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील सारहीन व मनगढ़त तथ्यों पर 17 साल बाद प्रस्तुत की गई है जो म्याद बाहर है इसलिए म्याद के बिन्दु पर तुरन्त खारिज किये जाने की प्रार्थना हैं। अपीलान्टस का कोई हक, हिस्सा, टाईटल, कब्जा बनता है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें तथा जब तक अपीलान्टस स्वर्गीय रमजान खां के वारिस होने का सक्सेशन सर्टीफिकेट (उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र) जिला एवं सेशन न्यायालय से प्राप्त करने के बाद अपना कोई हक हिस्सा टाईटल कब्जा का दावा प्रस्तुत करे यह अपील मेन्टेबल नहीं है, खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्य एवं जवाब प्रतिउतर में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या 915 रकबा 60–05 बीघा जो खातेदार रमजान खां की थी। खातेदार रमजान खां के अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 व एक अन्य वारिस भी है। अतः अपील अन्दर म्याद सुमार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 495 सपठित नामान्तकरण संख्या 885 को निरस्त किया जावे तथा उक्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

प्रकरण संख्या – अपील 21/2023(मैन्यूअल) 2023/20 (GCMS)

उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन, अध्यधन किया गया। अपील के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतित होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 495 एवं सपिठत नामान्तकरण संख्या 885 का अवलोकन करने स्पष्ट होता है कि नामान्तकरण संख्या 495 ग्राम जैसलमेर से संबंधित है तथा उक्त नामान्तकरण में वर्णित भूमि खसरा संख्या 808 रकबा 14 बीघा है जो सुवागी पत्नी मवलाबक्श कौम मुसलमान निवासी जैसलमेर की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान के नाम दर्ज की गई है। विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 915 रकबा 60–05 बीघा भूमि के संबंध में खोला गया नामान्तकरण संख्या 885 में नामान्तकरण संख्या 495 को आधार माना जाकर खोला जाना पाया गया है जो खातेदार रमजान पुत्र उमर खां के वारिसान के नाम खोला गया है जबकि नामान्तकरण संख्या 495 में रमजान पुत्र उमर खां के संबंध में कोई इन्द्राज नहीं होने से उक्त नामान्तकरण संख्या 885 में रमजान खां पुत्र उमर खां के संबंध में किये गये इन्द्राज एवं उनकी फौतेदगी पर वारिसान के नाम विवादग्रस्त भूमि दर्ज किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचित स्थिति के अनुसार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम जैसलमेर खसरा नम्बर 915 रकबा 60–05 बीघा के संबंध में नामान्तकरण संख्या 885 अविधिक तरीके से खोला गया है, जो अपास्त किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 495 में हस्तक्षेप किए जाने के संबंध में कोई आधार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन ग्राम जैसलमेर के नामान्तकरण संख्या 885 दिनांक 20.12.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जैसलमेर को प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के खातेदार के विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच एवं विधिक साक्ष्य/दस्तावेज प्राप्त कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वंय वहन करें।

आदेश आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर